न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 65/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. गुरजीत कौर पत्नी बलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी मलकाना कलां तहसील श्रीकरणपुर।		1. गुरविन्द्र सिंह पुत्र राजवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी मलकाना कलां तहसील श्रीकरणपुर। 2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 30.10.2019

उपस्थितः 1.श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता प्रार्थिया
2.श्री जसकरण गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

--निर्णय-- दिनांकः 30/03/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 2 टी के खाता संख्या 8/8 के मुरब्बा नम्बर 28, 29 एंव 68/12 की कुल 4.425 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि प्रार्थिया के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि प्रार्थिया को पारिवारिक बंटवारा में अपने ससुर से प्राप्त हुई है। वर्तमान में उक्त भूमि पर प्रार्थिया द्वारा नरमा की फसल काश्त की हुई है। लेकिन वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 जो प्रार्थिया के देवर का लडका यानि प्रार्थिया के पति का भतीजा है, के मन में बेईमानी आई हुई है एवं अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थिया की उक्त भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दो-तीन बार असफल प्रयास भी किये जा चुके है एंव प्रार्थिया को काश्त करने में भी रूकावट कर रहा है। प्रार्थिया मौतबिरान व्यक्तियों को साथ लेकर आज से 2 रोज पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 से मिली तथा उसे प्रार्थिया की भूमि में किसी प्रकार की दखल अंदाजी ना करने व फसल को नुकसान ना करने का कहा तो उसने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया है और कहा कि उक्त भूमि मेरे बाप-दादा की है मैं तो जबरदस्ती कब्जा करके रहूंगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, राईट एंव टाईटल प्रार्थिया के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश करके अर्ज है कि ताफैसला दावा अप्रार्थी के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर जारी की जावें कि चक 2 टी के खाता संख्या 8/8 के मुरब्बा नम्बर 28, 29 एंव 68/12 की कुल 4.425 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे वह भी प्रार्थिया को दिलाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:33:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आए व जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर बन्द किया गया।

हमने अधिवक्तागण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना। पत्रावली प्रार्थना पत्र, पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 चक 2 टी के खाता संख्या 08/08 का गहनतापूर्वक अध्ययन एंव अवलोकन करते हुए धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अवलोकन किया। हम प्रकरण का निर्णयन निम्न 3 बिन्दूओं के आधार पर करना विधिसंगत समझते है:-

30/3/21
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

1.प्रथम दृष्टया मामला:- इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए, क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुतः दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वाद ग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का प्रर्याप्त आधार प्राप्त हैं। चूंकि चक 2 टी की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 08/08 में प्रार्थी वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार है, एंव अप्रार्थी संख्या 1 उक्त खाता में खातेदार काश्तकार नहीं है। चक 2 टी की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 08/08 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के एकल खाता की भूमि है। लिहाजा वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के एकल खाता की भूमि होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचनों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला भली भांति प्रार्थी के पक्ष में साबित होता

2.सुविधा का संतुलन:- अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एंव महत्वपूर्ण घटक है, इसका सामान्य तात्पर्य है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी/वादी को अधिकतम असुविधा होगी । चूंकि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी खातेदार काश्तकार है, अप्रार्थी खातेदार नहीं है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र के आलोक में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष साबित होता है।

3.अपूरणीय क्षतिः- उक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित हुए है। चूंकि उक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी को व्यादेश नहीं दिया जाता है, तो अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार के परिवर्तन करने या अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की दखलअंदाजी की जाती है, तो मौका की स्थिति परिवर्तित हो सकती है। जिससे प्रार्थी/वादी को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र के आलोक में अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी/वादी के पक्ष साबित होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित होने के कारण मूलवाद का निपटारा होने तक अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थायी व्यादेश बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थी इस आशय का पारित किया जाता है कि चक 2 टी के खाता संख्या 8/8 के मुरब्बा नम्बर 28, 29 एंव 68/12 की कुल 4.425 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में ताफैसला वाद परिवर्तन न करें एवं न ही उक्त आराजी का बेचान, रहन या अन्य किसी तरीके से हस्तांतरण करें और अप्रार्थी वादग्रस्त आराजी पर मौके पर किसी प्रकार का न तो निर्माण करे और न ही दखलअंदाजी करे। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

30/3/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:53:09 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 30/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

30/3/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) करणपुर (श्री गंगानगर)